



जब वे पंख फैलाना चाहे, तो हम क्यों रोक लगाएँ


बाल विवाह करा बच्चों के सपने ना रहने दें अधूरे,
पढ़ा-लिखा उनके सपनों को हो जाने दें पूरे।



भारत में बाल विवाह से संबंधित आंकड़े-

हमारे देश में लड़कियों
की 18 वर्ष से कम उम्र में
शादी होने के आंकड़े 26.8
प्रतिशत और

लड़कों की 21 वर्ष की
उम्र में शादी होने की
संख्या 20.3 प्रतिशत
आंकड़ी गई है।



(स्रोत: उन.उफ.उच.उस. -4, 2015-16)

अपराध के प्रकार

- ⌚ कम उम्र में शादी कराने के लिए प्रोत्साहन देता या उनकी किसी शी प्रकार से सहायता करता है।
- ⌚ कम उम्र में हो रही शादी को रोकने में मदद नहीं करता है।
- ⌚ हो रहे बाल विवाह में शामिल होता है।

अपराधी कौन

- ⌚ कोई भी व्यक्ति या संगठन या शादी में समिलित व्यक्ति
- ⌚ माता-पिता
- ⌚ अशिक्षित

जेल की सजा

- ⌚ 2 साल तक जेल
- ⌚ 1 लाख तक का जुर्माना

आप क्या कर सकते हैं

आप श्री अपने आस-पास हो रहे बाल विवाह को रोक कर उक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निशाउं और आपने नज़ादीकी निम्न जगहों पर शिकायत दर्ज कराउं-

- ⌚ स्थानीय पुलिस स्टेशन
- ⌚ बाल विवाह निषेध अधिकारी
- ⌚ जिला बाल संरक्षण छकार्ड